वेबसाईट : www.abvp.org पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय– 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई–मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 16 फरवरी 2022

-: प्रेस विज्ञप्ति:-

तामिलनाडु राज्यपाल से मिला अभाविप प्रतिनिधि मंडल, लावण्या को न्याय दिलाने हेतु सौंपा ज्ञापन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल आज तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री आर. एन. रवि से मिला व ईसाई मिशनरी की प्रताड़ना से आत्महत्या को विवश हुई 17 वर्षीय स्कूली छात्रा लावण्या को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही ज्ञापन में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लगा कर की गई गिरफ़्तारी पर भी शीघ्र कदम उठाने की मांग की है।

विदित हो कि लावण्या द्वारा अपने अंतिम वक्तव्य में कहा गया था कि सागया मैरी नामक एक स्कूल की नन ने उसके ऊपर लगातार ईसाई पंथ को अपनाने का दबाव बनाया और मना करने पर उसे विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं दी। मामले की मुख्य आरोपी सागया मैरी के जेल से बाहर आने पर द्रमुक के विधायक द्वारा सम्मान किया जाना सत्तारूढ़ दल की असंवेदनशीलता का प्रदर्शन करता है।

14 फ़रवरी 2022 को तमिलनाडु मुख्यमंत्री आवास के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभाविप के कार्यकर्ताओं के साथ किये गए अपमानजनक व्यवहार और उनके ऊपर चलाए जा रहे फ़र्ज़ी मुकदमों को राज्यपाल के सामने रखते हुए विभिन्न माँगे की गईं।

पहली मांग में तमिलनाडु में एक अधीनस्थ अदालत द्वारा आरोपी वार्डन को दी गई जमानत इंगित करती है कि उस मामले में निष्पक्ष जांच को पटरी से उतारने के प्रयास सावधानी से किए गए हैं और सिस्टर सागया मैरी को जारी किए गए जमानत आदेश को तुरंत रद्द करने की मांग रखी गयी। दूसरी मांग में तमिलनाडु राज्य में अब लावण्या जैसी मौत के लिए जबरन मत परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाये जाने की मांग रखी गयी। तीसरी मांग में सभी गिरफ्तार अभाविप के कार्यकर्ताओं को बिना किसी देरी के तुरंत रिहा करने की बात कही गयी। अभाविप, डीएमके विधायक इनिगो इरुद्यराज की भी निंदा करती है जिन्होंने उस आरोपी को सम्मानित किया है।

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री सुमित पाण्डेय द्वारा जारी की गई है।)